दूरभाष : 0751-2446200 (कार्या.)
0751-2373301 (फैक्स)
E-mail: dmgwalior@mp.nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर (म. प्र.)

क्रमांकः क्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा–144/06/2020/20)   ग्वालियर , दिनांक 23.03.2020

।। आदेश ।।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोरोना वायरस को (Public Health Emergency of International Concern) होने से महामारी ((Pandemic) घोषित किया गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांकः एफ 10–02/2020/सत्रह/ मेडी–2 दिनांक 07.03.2020, 15. 03.2020 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अन्तर्गत नोवोल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है।

मध्यप्रदेश सहित सम्पूर्ण भारतवर्ष में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है तथा एक राज्य से दूसरे राज्य एवं एक जिले से दूसरे जिले में आने–जाने एवं लोगों के संपर्क से यह वीमारी निरंतर बढ़ रही है। अतः इस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर, निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं :–

1. ग्वालियर जिले में तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.03.2020 रात्रि 12.00 तक लॉक डाउन घोषित किया जाता है। टोटल लॉक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
2. जिले की सभी सीमाएं सील की जाती हैं, किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है।
3. जिले में निवासरत नागरिकों को जिले की सीमा से बाहर आने–जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
4. जिले के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय, अशासकीय कार्यालय जिसमें केन्द्रीय संस्थायें भी शामिल हैं, समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान को बंद किया जाता है।
5. समस्त लोक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो–रिक्शा, ई–रिक्शा भी शामिल हैं, को बंद किया जाता है एवं अन्तर जिला बस–ट्रेन सेवा बंद की जाती है।
6. समस्त निर्माण कार्य बंद किये जाते है।
7. समस्त धार्मिक स्थल बंद किये जाते हैं।
8. आमजन को आदेशित किया जाता है कि वह घर पर ही एवं सिर्फ अत्यावश्यक सेवा के लिए जो इस आदेश में उल्लिखित हों, घर के निकटतम सेवा प्रदाता तक ही जा सकते हैं जो स्व–घोषणा के आधार पर अनुमत्य हागा परन्तु सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का आवश्यक पालन करें।

उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे :–

01– मेडीकल दुकान, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, इससे मुक्त रहेंगे।

02– फल, सब्जी, किराना, दुकान, दूध की दुकान, सांची पार्लर, पी.डी.एस. दुकान, प्रातः 06.00 बजे से 10.00 बजे तक खुल सकेंगे।

03– एल.पी.जी. गैस कम्पनी– इण्डेन, भारत, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के डिपो से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति संबंधी समस्त सेवायें इस आदेश से मुक्त रहेंगी।

04– मास्क, सेनिटाइजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाहन, पशु चारा आवश्यक वस्तुओं/सेवाएं जो इस आदेश में उल्लिखित हों, को परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकास जारी रहेगा।

05– आवश्यक वस्तुओं दवाईयों, एलपीजी गैस, आदि को उत्पादन करने वाले उद्योगों को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर ऐसे उद्योग तथा उसमें कार्यरत संबंधित कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।